

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
सिंचाई प्रमंडल सिकन्दरा  
जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार  
अल्पकालीन पुर्न निविदा आमंत्रण सूचना सं०- 09/2017-18

पत्रांक ..... सिकन्दरा, दिनांक / /2018

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता - कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल सिकन्दरा ।
2. निविदा प्रपत्र की बिक्री की तिथि - दिनांक 26.02.18 एवं 27.02.18 तक (कार्यालय अवधि में)
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय - दिनांक 28.02.18 को अपराहन 3.00 बजे तक ।
4. तकनीकी बिड खुलने की तिथि एवं समय - दिनांक 28.02.18 को अपराहन 3.30 बजे ।
5. निविदा प्रपत्र की बिक्री का कार्यालय - (क) अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, जमुई ।  
(ख) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा ।
6. निविदा प्राप्ति का स्थान- क्रमांक-5(ख) में वर्णित कार्यालय में ।
7. कार्य की विवरणी-

गुप सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि(लाख में)	अग्रधन राशि(रूपये में)	परिमाण विपत्र का मुल्य(रु० में) लौटायी नहीं जायगी ।	कार्य पुरा करने की अवधि ।	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5		6
1	L.K.V(Left) मुख्य नहर के चेन 268 (R), 274 (R), एवं 277 (R), पर क्षतिग्रस्त बाँध का मरम्मत कार्य ।	0.88	1800.00	500.00	31.03. 2018	पिछडा वर्ग
2	L.K.V(Left) मुख्य नहर के चेन 298 (R), पर सुरक्षा दीवार बना कर मिट्टी भराई कार्य ।	10.88	21800.00	2500.00	31.03. 2018	अनुसूचित जाति
3	L.K.V(Left) मुख्य नहर के चेन 245 (L), पर सुरक्षा दीवार बना कर मिट्टी भराई कार्य ।	6.67	13400.00	1250.00	31.03. 2018	पिछडा वर्ग
4	L.K.V(Left) मुख्य नहर के चेन 270 (R), पर सुरक्षा दीवार बना कर मिट्टी भराई कार्य ।	3.38	6800.00	750.00	31.03. 2018	पिछडा वर्ग (महिला)
5	L.K.V(Left) मुख्य नहर के चेन 138 (L), पर सुरक्षा दीवार बना कर मिट्टी भराई कार्य ।	13.54	27100.00	2500.00	31.03. 2018	अनारक्षित

6	मोरमा वितरणी के चेन सं0 49 पर Fall Cum S.L.R Bridge का निर्माण कार्य।	14.31	28700.00	2500.00	31.03. 2018	अनारक्षित
7	मोरमा वितरणी के चेन सं0 48. 50 पर Out Let का निर्माण कार्य एवं निःसृत लधु नहर का पुनर्स्थापन कार्य।	5.30	10600.00	1250.00	31.03. 2018	अ0 पिछड़ा वर्ग
8	शर्मा वितरणी के चेन सं0 342 पर Profile Wall का निर्माण कार्य।	2.00	4000.00	500.00	31.03. 2018	अ0 पिछड़ा वर्ग

8.निविदा से संबंधित विस्तृत शर्त, नियम, अग्रधन का स्वरूप, निविदा की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी के लिए परिमाण विपत्र बिक्री स्थल से सम्पर्क किया जा सकता है।

नियम एवं शर्त:-

- कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में धटोत्तरी या बढोत्तरी हो सकती है तदनुसार अग्रधन की राशि देय होगा। अग्रधन की राशि प्राक्कलित राशि का 2% (प्रतिशत) जो 100/- रू0 के गुणक में होगा।
- अग्रधन की राशि के रूप में डाकधर बचत खाता पासबुक, 1, 2, 3 वर्षीय डाकधर सावधि जमा पासबुक, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र अथवा बिहार सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रतिभुति जो कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा के पदनाम से विधीवत् प्रतिज्ञिप्त हो स्वीकार किये जायेगें। निविदा सूचना निर्गत की तिथि के पूर्व प्रतिज्ञिप्त की मान्यता नहीं दी जाएगी।
- संवेदक को आवेदन के साथ परिमाण विपत्र का मूल्य की राष्ट्रीय कृत बैंक से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा के पदनाम से जमुई शाखा में भुगतये के रूप में भुगतान करने पर प्राप्त होगा। परिमाण विपत्र की मुल्य लौटाया नहीं जायेगा।
- पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना सं0- 13589 (एस), पटना, दिनांक 13.12.11 के कंडिका (4) के उप कंडिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रू0 25,00,000.00 रू0 (पच्चीस लाख) तक के कार्यो के निविदा में श्रेणी- 4 में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे।
- निविदा दाता के बीड के साथ निम्नलिखित स्वअभिप्रमाणित दस्तावेज देना अनिवार्य है:-  
 (क) निविदा दाता का समुचित श्रेणी में निबंधित होने का प्रमाण-पत्र।  
 (ख) निर्गत परिमाण विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि बिहार सरकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमान्य स्वरूप में समर्पित करना अनिवार्य है।  
 (ग)निम्न आशय का शपथ-पत्र (Affidavit) निविदा के साथ समर्पित करना होगा जो इस प्रकार है:-

"I the undersigned do hereby certify that all the statement made in the required attachment are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing"

(ध) आरक्षित कोटि के निविदाता को एक अलग शपथ-पत्र के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में आरक्षण के प्रावधान के आधार पर अबतक उन्हें आबंटित सभी कार्यों की कुल राशि की सूचना देना अनिवार्य होगा।

(च) सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. संवेदक को लिफाफे के उपर अपना दूरभाष संख्या तथा मोबाइल नं० यथासंभव अंकित करना चाहिए ताकि निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना उन्हें ससमय दिया जा सके।

7. बीड में संवेदक द्वारा जो दर अंकित किया जायेगा वो दशमलव के दो अंको तक मान्य होगा। न्यूनतम निविदित दर अनुसूचित दर से 10% कम दर तक ही मान्य होगा।

8. बिना कारण बताए एक या सभी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

9. संवेदक को सभी कार्य विस्तृत परिमाण विपत्र में वर्णित शर्तों के साथ जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निविदा से संबंधित सभी अद्यतन अनुदेश एवं शर्तें निविदा के लिए मान्य होगी।

10. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।

11. सफल निविदा दाता को जनकार्य प्रपत्र एफ-2 (क्लॉज 23 विलोपित) पर एकरारनामा करना होगा।

12. संदेहास्पद कार्य करने वाले एवं जिनके विरुद्ध कालीकृत करने की कार्रवाई चल रही है, अथवा पूर्व में आवंटित कार्य की प्रगति अवसर संतोषप्रद नहीं है तो संवेदकों की निविदा मान्य नहीं होगी।

13. 01% प्रतिशत शेष की राशि संवेदक के विपत्र से काटकर बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याणबोर्ड के मद में जमा किया जायेगा।

14. यदि कोई सामग्री संवेदक को लगाना है तथा वह सामग्री विभाग में उपलब्ध है तो संवेदक को सामग्री की आपूर्ति की जायेगी जिसका मूल्य विभागीय दर पर वसूल कर ली जायेगी।

15. कार्य आवंटन के पश्चात एकरारनामा में निर्धारित अवधि के अनुरूप कार्य ससमय पूर्ण करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि को जब्त कर ली जायेगी। इस कार्य में कोई समय वृद्धि मान्य नहीं है। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने या प्राप्ति की तिथि को बिहार सरकार द्वारा अवकाश घोषित हो जाय तो निविदा खोलने या प्राप्ति का कार्य अगले कार्य दिवस पर की जायेगी।

16. इस कार्य हेतु निधि उपलब्ध है, जो इस वित्तीय वर्ष तक मान्य है।

17. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी से मिलें या सूचनापट्ट पर देखें।

18. संवेदक को किए गए कार्य का भुगतान तभी होगा, जब गुण नियंत्रण प्रमंडल, भागलपुर से गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा।

19. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदा दाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

20. एकरारनामा के समय विक्री-कर, श्रम अनुज्ञप्ति एवं पैन कार्ड का अभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना होगा।

21. ग्रुप सं०- 01 एवं 03 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है।

ग्रुप सं०- 04 पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिए आरक्षित है।

ग्रुप सं०- 07 एवं 08 अ० पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है।

ग्रुप सं०- 02 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।

22.परिमाण विपत्र की राशि बढ़ या घट सकती है। परिमाण विपत्र क्रय करने के पश्चात् उसमें अंकित राशि के अनुरूप ही निदेशित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

—ह0—

कार्यपालक अभियंता  
सिंचाई प्रमंडल,सिकन्दरा  
दिनांक / /2018

पत्रांक .....

सिकन्दरा,

दिनांक

/ /2018

प्रतिलिपि:— सभी अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, सं0—01, 02, 03, 04  
सिकन्दरा एवं 01 रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार—प्रसार हेतु प्रेषित।

—ह0—

कार्यपालक अभियंता  
सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा

पत्रांक .....

सिकन्दरा,

दिनांक

/ /2018

प्रतिलिपि:— कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल,जमुई/कार्यपालक अभियंता, स्था0 क्षेत्र  
अभि0 संगठन कार्य प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

—ह0—

कार्यपालक अभियंता  
सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा

पत्रांक .....

सिकन्दरा,

दिनांक

/ /2018

प्रतिलिपि:— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय को निविदा के क्रमांक— 01 से 04  
एवं क्रमांक— 06 से 08 के लिए सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि जिलाधिकारी  
लखीसराय के पत्रांक 1055/गो0, लखीसराय दिनांक 26. 05. 2017 के आलोक में  
जिला के वेवसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाय।

—ह0—

कार्यपालक अभियंता  
सिंचाई प्रमंडल,सिकन्दरा

पत्रांक 180.....

सिकन्दरा,

दिनांक

16 /02/2018

प्रतिलिपि:— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जमुई को निविदा के क्रमांक 05 के कार्य के लिए  
सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि जिला के वेवसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित किया  
जाय।

  
16/02/18

कार्यपालक अभियंता  
सिंचाई प्रमंडल,सिकन्दरा